भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या - 62**

उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025

सोमवार, 30 आषाढ़, 1947 (शक)

**पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत डीपीएमयू**

62. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कौशल घटक के कार्यान्वयन के लिए सरकार नोडल एजेंसी है और क्या संपूर्ण देश में जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ (डीपीएमयू) बनाई गई हैं और यदि हां, तो उनकी प्रमुख भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिले-वार बनाई गई डीपीएमयू या नियुक्त जिला समन्वयकों की कुल संख्या कितनी है, साथ ही उनके नाम, संपर्क विवरण और कार्यालय स्थान क्या हैं;

(ग) क्या कोई डीपीएमयू या समन्वयक एक से अधिक जिलों का प्रभार संभालता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एक से अधिक प्रभार के ऐसे मामलों में कार्यान्वयन अभिकरणों को भुगतान की प्रक्रिया क्या है तथा क्या दोहरे भुगतान के कोई मामले पाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या डीपीएमयू ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अपने निष्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा डीपीएमयू या जिला समन्वयकों के निष्पादन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्या व्यवस्था अपनाई गई है?

**उत्तर**

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) जी हाँ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस पहल का कार्यान्वयन भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), और वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग (डीएफ़एस) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। एमओएमएसएमई एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है और योजना के समग्र कार्यान्वयन एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी है। एमएसडीई को योजना के कौशल विकास घटक की देखरेख का कार्य सौंपा गया है और इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) नियुक्त किया गया है।

देश भर में जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ (डीपीएमयू) स्थापित की गई हैं जो देश के अधिकांश जिलों को कवर करती हैं। उनकी प्रमुख भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में विश्वकर्मा लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रशिक्षण तिथियों, बैच समय, प्रशिक्षण केंद्रों के स्थान, प्रशिक्षण के लाभों, हितधारकों के समन्वय और प्रशिक्षण केंद्रों तक मार्गदर्शन प्रदान करके उनकी भागीदारी को सुगम बनाना शामिल है। उनकी भूमिका में प्रशिक्षण दिशानिर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की नियमित निगरानी भी शामिल है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत नियुक्त जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों की कुल संख्या 497 दिनांक (16.07.2025 तक) है, जो देश के 618 जिलों को कवर कर रही हैं। जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयाँ सौंपे गए जिलों में भौतिक रूप से मौजूद हैं और प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों का भौतिक दौरा/निरीक्षण भी करते हैं। 618 जिलों को कवर करने वाले 497 डीपीएमयू का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण बहुत विस्तृत है। कृपया इसे इस मंत्रालय की वेबसाइट https://www.msde.gov.in/documents लिंक पर देखें।

(ग) और (घ) जी हाँ। विशिष्ट परियोजना आवश्यकताओं और परिचालन संबंधी अनिवार्यताओं के कारण 107 डीपीएमयू को अनेक ज़िले सौंपे गए हैं। दोहरे भुगतान का कोई मामला नहीं देखा गया है क्योंकि भुगतान पूरी तरह से तैनात कर्मियों की सत्यापित संख्या के आधार पर कार्रवाई की जाती हैं। जिन डीपीएमयू को अनेक ज़िले सौंपे गए हैं, उनका विवरण बहुत व्यापक है और कृपया इसे इस मंत्रालय की वेबसाइट https://www.msde.gov.in/documents लिंक पर देखें।

(ङ) डीपीएमयू की कार्य-आधारित समीक्षा प्रणाली पर निगरानी की जाती है, जिसमें कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार पीआईए द्वारा दैनिक कार्य सौंपे जाते हैं और साप्ताहिक

आधार पर प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, डीपीएमयू को एमएसडीई द्वारा तैनाती से पहले भौतिक अभिविन्यास सत्रों से गुजरना पड़ता है और पीआईए द्वारा विभिन्न भौतिक और वर्चुअल बैठकों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण, असाइनमेंट और निगरानी कार्य दिए जाते हैं। जिला स्तर पर कुशल योजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वे क्षेत्रीय कौशल विकास  और उद्यमशीलता निदेशालय (आरडीएसडीई) के साथ नजदीकी समन्वय में भी काम करते हैं। डीपीएमयू द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी के लिए पीआईए द्वारा साप्ताहिक ट्रैकिंग तंत्र भी स्थापित किया गया है।

(च) पीआईए द्वारा साप्ताहिक आधार पर डीपीएमयू का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन किया जाता है।

*****